Shri Jagjivan Ram : That will be difficult for me to say. In the First Five Year Plan we have opened 18,000 post offices and the loss on every post office is a maximum of Rs. 750. But I think there are many post offices which may earn a portion of this loss. I cannot definitely say how many post offices are still being subsidised to the full extent of Rs. 750.

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं दो हजार की आबादी पर और तीन मील के फासले पर जो पोस्ट आफिस खोले गये हैं, उसमें क्या नतीजा सामने आया है क्योंकि यह काम फर्स्ट फाइव इअर प्लैन में शुरू हुआ था ?

श्री जगजीवन राम : मैं समझ नहीं सका कि नतीजा के क्या माने हैं ?

Shri S. C. Samanta : I want to know whether they are running at a loss.

Shri Jagjivan Ram : They are. As I said, many of the post offices are running at a loss.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि पोस्ट आफिसेज के सेविंग्ज बैंक्स में जो चैक सिस्टम चलाया जा रहा है, वह चूंकि बड़े बड़े शहरों से शुरू किया जा रहा है, तो क्या देहाती क्षेत्रों में जहां पर बैंक नहीं हैं और इसकी बड़ी आवश्यकता है, वहां पर जो यह डाकखाने खुलेंगे उन में चैक व्यवस्था लागू करने का विचार किया जा रहा है ?

Shri Jagjivan Ram : That does not arise out of this question but I am prepared to give the information. It is more complicated to have cheque system in the rural post offices. The hon. Member must appreciate that it requires special training not only for the clerk who deals with the cheques but also for the man who presents the cheque.

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह बतलाया कि हर गांव में डाकखाना आवश्यक नहीं है, और साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि किस प्रकार और कितने क्षेत्र में डाकखाने खोलने का विचार किया जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके विचार से अभी और कितने डाकखाने खोलने की आवश्यकता होगी जिसमें कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाय, और उन में से प्रति वर्ष कितने डाकखाने खोले जायेंगे ? क्या इस विषय में कोई योजना बनी है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम २०,००० डाकघर खोलना चाहते हैं, इसका मतलब हुआ कि ४,००० डाकखाने हर साल ।

Shri Gajendra Prasad Sinha : Is there any proposal to relax the condition of 2000 population as far as Chotta Nagpur is concerned, because it is an Adivasi area?

Shri Jagjivan Ram : I would invite the attention of the hon. Member to the pamphlet giving the activities of the department in which it has been stated that for backward areas and hill districts this rule will be relaxed.

It may mean a loss up to Rs. 1,000 for every post office, and in special cases, we may even accept a loss of more than Rs. 1,000

Shri Bogawat : May I know why there is delay in giving post offices in all areas where there is a population of 2,000 especially when it was promised that within April, 1956, the post offices will be made available and also especially when there is a row from the people of the several areas having a population of 2,000 ?

Shri Jagjivan Ram : So far as the villages in the country, having a population of 2,000 or more are concerned, they have been covered with post offices, except a few villages in the tea estates. As regards other areas, I may say that one can draw the areas in various ways and then say that they have not been provided with post offices. It will of course take more time to provide all the areas with post offices.

Shrimati A. Kale : May I know whether all places with a population of 2,000 or more in Uttar Pradesh have been covered by post offices?

Shri Jagjivan Ram : That is what I have said. All villages with a population of 2,000 barring a few which, according to our information, have themselves said that they do not require post offices, have been covered with post offices.

रेलवे-स्टीमर सेवा

*१११८. **पंडित ह्रा० ना० तिवारी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन है जिसके

अनुसार दीघाघाट और महेन्द्रूघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) से स्टीमर पहलेजाघाट जाने के बजाये हाजीपुर या उसके आस पास किसी स्थान पर जायेंगे और पहलेजाघाट के स्थान पर एक और घाट बनवाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). सोनपुर-हाजीपुर के इकहरी लाइन वाले सेक्शन पर गाड़ियों की भीड़-भाड़ कम करने के लिये इस तरह के एक सुझाव पर विचार हुआ था, लेकिन इसमें कई खामियां (disadvantages) थीं जिसकी वजह से इसे छोड़ दिया गया है । लेकिन सोनपुर और हाजीपुर से गण्डक नदी के पुल तक दोहरी लाइन बिछाने का इन्तजाम कर दिया गया है । गण्डक नदी पर दोहरी लाइन का पुल बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की गई थी और यदि की गई थी तो उसमें गवर्नमेंट का क्या व्यय हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जांच पड़ताल तो मेरे खयाल में कुछ हुई थी मगर उसमें कुछ इतना ज्यादा खर्चा नहीं हुआ जिससे माननीय सदस्य को चिन्ता हो ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : महेन्द्रूघाट से पहलेजाघाट जो जहाज जाते हैं क्या उनकी रफ्तार में और उनकी फिक्वेंसी में कुछ और वृद्धि होगी या इनकी रफ्तार और फिक्वेंसी उतनी ही रहेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : तेजी तो हम हर तरफ चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि अगर अच्छे स्टीमर आ जायेंगे तो उधर भी तेजी हो ।

खाद्यान्नों का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना और ले जाना

*१११९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) : (क) तथा (ख). खाद्यान्न का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कुछ राज्यों से प्रार्थनायें प्राप्त हुई थीं । जहां तक पूर्वी पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों का सम्बन्ध है, भारत की सीमा से उस पार छिप कर खाद्यान्न ले जाने को रोकने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार की प्रार्थना स्वीकार की गई है और इस राज्य से चावल, धान और इन से बनी हुई चीजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । आसाम और पश्चिमी बंगाल की सरकारों को उचित उपाय करने और अपने सीमावर्ती जिलों से खाद्यान्न के लाने और ले जाने के नियमन के लिये अधिकार भी दे दिया गया है । मणिपुर राज्य से खाद्यान्न के निर्यात पर पिछले साल ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । अन्य राज्यों के विषय में सरकार का विचार है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना रोक टोक के खाद्यान्न के लाने और ले जाने में दखल देना नहीं चाहिये और देश के किसी भाग में खाद्यान्न की कमी को सरकारी भंडार से खाद्यान्न को उदारतापूर्वक भेज कर पूरा करना चाहिये ।

Shri Achuthan : The answer may be read in English also.

Mr. Speaker : Yes.